कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 344/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 31.08.2026**

प्रेस नोट, दिनांक- 31.08.2026

थाना–महराजगंज, जनपद आजमगढ़

☐ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ थाना महराजगंज पुलिस ने वांछित अभियुक्त को कप्तानगंज मोड़ से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

घटना का विवरण- वादी मुकदमा द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है, को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 137(2)/87 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा की पुत्री की बरामदगी के उपरांत धारा 64(1) BNS एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण- थाना महराजगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31.08.2026 को समय 11:10 बजे कप्तानगंज मोड़, कस्बा महराजगंज से वांछित अभियुक्त मुहम्मद अली पुत्र आयुब निवासी ग्राम बारीखास, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 रामसागर यादव व हे0का0 बजरंगबली पाल थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक–31.08.2026

थाना–फूलपुर, जनपद आजमगढ़

☐ गलती से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए ₹9,600 साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर की तत्परता से आवेदक को वापस कराए गए।

☐ साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय कर पूरी धनराशि वापस कराई गई।

घटना का विवरण- शिकायतकर्ता सिकन्दर सोनकर द्वारा दिनांक 02.08.2026 को फोन-पे के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर करते समय गलती से ₹9,600 किसी अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में भेज दिए गए थे। शिकायतकर्ता द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका शिकायत संख्या 33108260201432 है।

पुलिस की कार्रवाई- साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया तथा गलती से ट्रांसफर हुई ₹9,600 की पूरी धनराशि शिकायतकर्ता सिकन्दर सोनकर के खाते में वापस कराई गई।

साइबर पुलिस टीम- उ0नि0 दयानन्द एवं म0का0 पूजा पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक-31.08.2026

थाना-सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से जारी धारा 84 BNSS के नोटिस की पुलिस ने कराई तामीला।

□ थाना सिधारी पुलिस ने वांछित अभियुक्त आदिल खान के घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा कराई तथा मोहल्ले में मुनादी कराकर की गई विधिक कार्रवाई।

कार्रवाई का विवरण- थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2025 धारा 64(1)/352/351(3) BNS में वांछित अभियुक्त आदिल खान पुत्र मतिउल्लाह खान निवासी भदुली, थाना सिधारी, आजमगढ़ के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 84 BNSS के तहत जारी प्रॉसेस की तामीला हेतु पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी कराई गई।

पुलिस टीम- निरीक्षक शिव कुमार यादव, उ0नि0 धर्मराज यादव, का0 विनोद कुमार यादव एवं का0 विजय कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक-30.08.2026

थाना-मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

□ थाना मेहनाजपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ रामदर्शन को किया गिरफ्तार।

घटना का विवरण- दिनांक 30.08.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने तथा विरोध करने पर हाथ पकड़कर खींचने की तहरीर दी गई। इसी विवाद को लेकर वादिनी मुकदमा के परिजनों के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 76/2026 धारा 3(5)/74/75/115(2)/352/351(3) BNS व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- विवेचना के क्रम में दिनांक 30.08.2026 को अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ रामदर्शन यादव पुत्र स्व0 दिनेश यादव, निवासी जमीन सकत (हरिनामपुर), थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा समय करीब 14:50 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव एवं हे0का0 सुरेन्द्र यादव, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक 31.08.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

जिला अस्पताल के सामने रोड जाम कर पुलिस से धक्का-मुक्की व गाली-गलौज करने वाले 05 वांछित आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2026 को मृतका रेनू पत्नी शिवम, निवासी गेलवारा थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ की मृत्यु के उपरान्त शव पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल की मर्चरी में लाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के मायके पक्ष के लोग शव को ससुराल पक्ष को ले जाने से रोकते हुए पहले एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने एवं थाना सिधारी जाकर एफआईआर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद उक्त लोग आक्रोशित हो गये।

इसी क्रम में दिनांक 28.08.2026 को समय करीब 15.40 बजे शनि पुत्र रामजी, निवासी हासापुर थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ अपने 20-25 अज्ञात पुरुष एवं महिला सहयोगियों के साथ जिला अस्पताल आजमगढ़ के मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठकर एवं खड़े होकर रोड जाम कर शासन-प्रशासन एवं पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। पुलिस द्वारा रोड जाम समाप्त कराने का प्रयास किये जाने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की गयी तथा लाठी-डण्डे लेकर सड़क जाम रखा गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 0445/2026 धारा 189(2), 190, 191(2), 126(2), 121(1), 125, 109(1), 221 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही- आज दिनांक 31.08.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 05 वांछित आरोपियों 1. संतोष कुमार पुत्र नन्द लाल उम्र 28 वर्ष, 2. चन्द्र भान राम पुत्र नरेश राम उम्र 54 वर्ष, 3. अमरनाथ पुत्र मुन्नीराम उम्र 48 वर्ष, 4. रामचेत पुत्र मुराती उम्र 52 वर्ष एवं 5. चैतूराम पुत्र मुराती उम्र 55 वर्ष, निवासीगण ग्राम सोहिला थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम सोहिला से समय करीब 00.50 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति, का0 सुमित कुमार, का0 पिंटु यादव, रि0का0 राहुल पाण्डेय, उ0नि0 महेन्द्र कुमार सिंह, का0 अखिलेश मद्देशिया एवं का0 विशाल यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक- 31.08. 2026
जनपद- आजमगढ़

- **पुलिस लाइन आजमगढ़ में सेवानिवृत्त 04 पुलिसकर्मियों का सेवा सम्मान समारोह आयोजित**

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार ने पुष्पमाला, मोमेंटो एवं मिठाई देकर सम्मानपूर्वक दी विदाई**

आज दिनांक **31 अगस्त, 2026** को पुलिस लाइन, आजमगढ़ में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए **04 पुलिसकर्मियों** के सम्मान में सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार** द्वारा सभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को पुष्पमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस विभाग में लंबे समय तक निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ सेवाएं देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी विभाग की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं उत्कृष्ट सेवाएं सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सेवा से सेवानिवृत्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि समाज और राष्ट्र के प्रति उनका अनुभव एवं योगदान सदैव अमूल्य रहेगा।

[illegible] सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण निम्नलिखित है

01-निरीक्षक ना0पु0 अभय राज मिश्रा
02-उ0नि0ना0पु0 सभाजीत
03-उ0नि0ना0पु0 चन्द्रमा राम
04-मु0आ0चालक नरेश चन्द

उक्त सेवा सम्मान समारोह में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक(प्रशिक्षणाधीन) ईश्वर गुज्जर व क्षेत्राधिकारी नगर** सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के दीर्घकालीन योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।